संख्या–3303 / X–2–2016–12(39) / 2012

प्रेषक,

आर0के0तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 09 सितम्बर 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–27 के अंतर्गत राज्य सेक्टर की आयोजनागत पक्ष की योजना "वन पंचायतो की सुदृढ़ीकरण योजना" हेतु राजस्व लेखा में लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तरखण्ड के पत्र संख्या नि0– 259/3–5(व0पं0सु0) दिनांक 04.08.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान सं0–27 के अंतर्गत राज्य सैक्टर की आयोजनागत पक्ष की योजना **"वन पंचायतो की सुदृढ़ीकरण योजना"** हेतु आय–व्ययक मे प्राविधानित धनराशि ₹137.70 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0–1820/X–2–2016–12(39)2012 दिनांक 30.6.2016 द्वारा लेखानुदान की आवंटित धनराशि ₹24.56 लाख को समायोजित करते हुए वर्तमान मे ₹63.14 लाख (₹ त्रेसठ लाख चौदह हजार मात्र) निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

अनुदान संख्या–27 **आयोजनागत** **(धनराशि हजार ₹ में)**

लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
2406–वानिकी तथा वन्य जीवन 01–वानिकी 800–अन्य व्यय 34–वन पंचायतों की सुदृढ़ीकरण योजना 04–यात्रा व्यय	667
08–कार्यालय व्यय	333
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	147
15–मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	200
18–प्रकाशन	67
25–लघु निर्माण कार्य	2000
29–अनुरक्षण	650
42–अन्य व्यय	1250
44–प्रशिक्षण व्यय	1000
योग	**6314**

(₹त्रेसठ लाख चौदह हजार मात्र)

1. मानक मद 25–लघु निर्माण कार्य में आवंटित धनराशि से प्रस्तावित निर्माण कार्यों में से किसी भी कार्य की लागत ₹5.00 लाख से अधिक न हो तथा वृहद निर्माण कार्यों को लघु निर्माण कार्य के अन्तर्गत सम्मिलित करने हेतु कार्यों के पृथक–पृथक टुकड़े न किये जाय। सर्वप्रथम गत वर्षो के चालू/अवशेष कार्य पूर्ण किये जाय तदोपरांत ही नए कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त की जाय।

........2

C:\Bhupendra Joshi\2016-2017\Plan G.O..docx

2. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–847 / XXVII(1)/2016 दि0 26.7.16 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध हैं, यदि योजना से इतर कार्यों को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी होगा।
4. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत / कराया न हो।
5. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक / मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार / दायित्व सृजित किया जाय।
6. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त ही कार्य किये जाय।
7. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम / प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय / प्रशासनिक और तकनीकी / प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 मे स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष अनुदान संख्या–27 के आयोजनागत पक्ष में उपरोक्त तालिका में वर्णित लेखाशीर्षक की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट आई0डी0–S1609270139 दिनांक 09 सितम्बर, 2016 संलग्न है।

3– ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–847 / XXVII(1)/2016 दिनांक 26.07.16 के अनुपालन / सन्दर्भ में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या–3303 / X–2–2016–12(39) / 2012 तदिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–4 / नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

C:\Bhupendra Joshi\2016-2017\Plan G.O..docx

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 3303/X-2-2016-12(39)2012

अलोटमेंट आई डी - S1609270139

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक -09-Sep-2016

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी

800 - अन्य व्यय

34 - वन पंचायतों की सुदृढीकरण योजना

00 -

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
04 - यात्रा व्यय	333000	667000	1000000
08 - कार्यालय व्यय	167000	333000	500000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	73000	147000	220000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	100000	200000	300000
18 - प्रकाशन	33000	67000	100000
25 - लघु निर्माण कार्य	1000000	2000000	3000000
29 - अनुरक्षण	0	650000	650000
42 - अन्य व्यय	250000	1250000	1500000
44 - प्रशिक्षण व्यय	500000	1000000	1500000
	2456000	**6314000**	**8770000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 6314000